प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 28.08.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा (.315 बोर) मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस (.315 बोर), एक मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट व 01 तार कटर बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

अवगत कराना है कि जनपद बागपत में विगत दिनों से ट्रांसफार्मर, विद्युत एवं संचार संबंधी तार चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थीं। उक्त घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित पुलिस टीमों द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सूचनाएं संकलित की जा रही थीं। इसी क्रम में दिनांक 28.08.2026 को थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं गश्त की जा रही थी। रात्रि करीब 22:08 बजे पुलिस टीम मुबारिकपुर जंगल में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक ट्यूबवैल के पास से आवाज सुनाई दी। पुलिस टीम द्वारा सतर्कता एवं गोपनीयता से मौके के पास पहुंचकर देखा गया तो 04 व्यक्ति विद्युत लाइन काटकर ट्रांसफार्मर उतारने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस टीम की आहट पाकर बदमाशों में से एक द्वारा शोर मचाते हुए अन्य साथियों को पुलिस के आने की जानकारी दी गई तथा बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा संयम एवं सतर्कता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप हुई पुलिस मुठभेड़ में 01 अभियुक्त रिजवान पुत्र जानेआलम निवासी ग्राम कमालपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल

अभियुक्त को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेकड़ा भेजा गया, जहां उसका उपचार कराया गया। पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा (.315 बोर) मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस (.315 बोर), एक मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट व 01 तार कटर बरामद हुई है।

उक्त घटना के संबंध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र जानेलआलम निवासी ग्राम कमालपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ (घायल)

पूछताछ विवरण

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने फरार साथियों के नाम प्यारे पुत्र शाबुद्दीन निवासी फरूखनगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद, शहजाद पुत्र अली मोहम्मद निवासी उपरोक्त तथा फिरोज पुत्र नामालूम निवासी उपरोक्त बताए गए। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा अपने साथियों के साथ करीब एक माह पूर्व ग्राम चमरावल के जंगल से ट्यूबवैल के केबल चोरी किए गए थे तथा ग्राम दहपा, थाना पिलखुवा क्षेत्र में भी ट्रांसफार्मर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था।

बरामदगी का विवरण-

- एक मोटरसाइकिल स्पलेन्डर बिना नम्बर
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 तार कटर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2- उ0नि0 संजीव कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3- उ0नि0 मयंक प्रताप, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
4- है0का0 218 धर्मेन्द्र भाटी, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
5- है0का0 886 अमित कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
6- है0का0 938 मनीष कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
7- है0का0 611 सतीश कपाशिया, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
8- है0का0 81 हिमांशु, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
9- है0का0 343 नीटू सिंह, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

10- का0 564 विनित सिंह, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
11- का0 84 मोहित त्रिपाठी, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
12- का0 1016 रोहित राठौर, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना-खेकडा   दिनाँक- 28.08.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 83 नग अवैध चाइनीज मांझा बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 83 नग अवैध चाइनीज मांझा बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आदित्य पुत्र महेश निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण –

83 नग अवैध चाइनीज मांझा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जनपद बागपत।
2-का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-का0 195 विवेक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकड़ा दिनाँक 28.08.2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने कस्बा खेकडा में परिवारीजन से बिछड गये बच्चे को उसके परिजनो को तलाश कर सकुशल सुपुर्द किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.08.26 को एक बच्चा उम्र करीब 3 वर्ष जो कस्बा खेकडा बाजार में अपने परिवारीजन से बिछड गया था बच्चे को परिजनो को तलाश कर बच्चे को सकुशल उसकी माता के सुपुर्द किया गया।

परिजनो द्वारा खेकड़ा पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0 नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा
2.म0है0का0 702 निशी मलिक थाना खेकडा
3.का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकड़ा

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा **दिनाँक- 28.08.2026**

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 298/26 धारा 305(ए)/324(4) बीएनएस-2023 में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक ताँबे की कटोरी व एक सीसीटीवी कैमरा तथा 1200 रूपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांकः– 24.08.26 को थाना खेकड़ा पर वादी कुलदीप त्यागी पुत्र श्यामलाल त्यागी निवासी ग्राम बड़ागांव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी द्वारा देख – भाल करने वाले हनुमान मन्दिर में से लगभग 10,000/- रूपये नगद, तांबे व पीतल के वर्तन व सीसीटीवी कैमरा चोरी कर लिया है तथा मन्दिर में लगे शीशे में तोडफोड़ कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 298/26 अंतर्गत धारा 305(ए)/324(4) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं चोरी/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 298/26 अंतर्गत धारा 305(ए)/324(4) बीएनएस-2023 का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से मन्दिर से चोरी की हुई एक ताँबे की कटोरी व एक सीसीटीवी कैमरा तथा 1200 रूपये नगद बरामद हुए हैं। जिसके संबंध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 298/26 अंतर्गत धारा 305(ए)/324(4) बीएनएस-2023 में धारा 317(2) बीएनएस-2023 में बृद्धि की गई।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम का नाम व पता-

1. राजेश कुमार पुत्र ब्रह्म सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी रावण उर्फ बड़ागांव थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण -

- एक ताँबे की कटोरी।
- एक सीसीटीवी कैमरा।
- 1200 रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2. है0का0 396 नितेश कुमार थाना खेकडा बागपत।

3- है0का0 218 धर्मेन्द्र भाटी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत   दिनांक 28.08.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 605/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शोएब पुत्र गुलफाम निवासी खिबाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री संदीप राजपूत थाना बड़ौत।
2. हे0का0 335 कैलाश यादव थाना बड़ौत।

3. रि0का0 342 सोनवीर सिंह थाना बड़ौत।
4.रि0का0 454 नकुल उपाध्याय थाना बड़ौत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनांक 28.08.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 608/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

चाँद पुत्र यासीन निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना बड़ौता।
2. का0 418 परमजीत सिंह थाना बड़ौता।
3. का0 433 गौरव कुमार थाना बड़ौता।
4. रि0का0 582 वेदप्रकाश थाना बड़ौता।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 28.082026

थाना बिनौली पुलिस ने चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 165/26 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र सुरेश निवासी मौ0 छोटी मस्जिद के पास कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र- 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- **एक अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2- है0का0 217 अरूण सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

3- का0 238 सुधांशु थाना बिनौली जनपद बागपत